

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
संख्या:-32/2018/890/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018
दिनांक : 11 मई, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत स्थापित हैरिटेज होटल की छतों पर नेट मीटरिंग प्रणाली पर स्थापित ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 में उपलब्ध निम्न प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे-

1. हैरिटेज होटल की छतों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर सूचित किये गये रेग्यूलेशन के अधीन स्थापित किये जायेंगे।
2. रूफटॉप सोलर पैनल के माइयूल स्ट्रक्चर की ऊँचाई को भवन की कुल ऊँचाई जो कि बिल्डिंग बायलाज के अन्तर्गत अनुमन्य हो, के अतिरिक्त आगणित नहीं किया जायेगा। ग्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट की स्थापना की स्थिति में निर्माण के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त अनुमति स्थानीय प्राधिकरण/निकाय से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. 10 किलोवाट क्षमता तक ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट राज्य विद्युत निरीक्षक के निरीक्षण से मुक्त होंगे।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या: 32/2018/890(1)/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2018, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. महालेखाकार (प्रथम) उ0 प्र0 इलाहाबाद।
7. कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से
चारूलता
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।